हिमाचल की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण

गिरिराज

साप्ताहिक

वर्ष 33 अंक 14 शिमला, 4–10 जनवरी, 2012 हर बुधवार को प्रकाशित मूल्य : एक प्रति 3.00 रुपये वार्षिक 140 रुपये आजीवन 1500 रुपये

जन कल्याण व वायदों की पूर्ति से परिपूर्ण चार वर्ष

बी. डी. शर्मा

प्रधान सम्पादक

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान प्रदेश सरकार ने गत 30 दिसम्बर को अपने शासनकाल के चार वर्ष पूरे किये हैं। किसी भी प्रदेश सरकार की कार्य प्रगति का पता उस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, लोगों से किये गये वायदों की पूर्ति और विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये गये सर्वेक्षण में बयां होती है। ये कुछ बातें हैं जब हम इन पर एक दृष्टि डालते हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने निःसंदेह लोगों के वायदों के अनुरूप कार्य किया है। मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने चुनाव घोषणापत्र में वायदा किया था, "मैं समस्त प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर 2008 का चुनाव घोषणा पत्र पहले ही दिन से लागू करने की दिशा में प्रयास आरम्भ हो जायेगा।" यह उन्होंने कर भी दिखाया है। चुनाव घोषणा पत्र में लोगों के लिए वायदे पूरे ही नहीं किये बल्कि सत्ता संभालते पहले ही दिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये मासिक किया। दैनिक भोगी मजदूरों की दिहाड़ी 75 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये की और उसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन 330 रुपये मासिक और दिहाड़ी 120 रुपये। इससे समाज का वह वर्ग लाभान्वित हुआ है जो वर्षों से उपेक्षित रहा और जो दो वक्त की रोटी खाने में कठिनाई अनुभव कर रहा था। आज प्रदेश में 2 लाख 77 हजार से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं। हर दैनिकभोगी मजदूर को 16740 रुपये का वार्षिक लाभ हुआ है। यह मुख्य मंत्री प्रो. धूमल की समाज के कमजोर एवं गरीब वर्ग के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। यदि हम एक नजर गत वर्षों पर डालें तो पायेंगे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पहले भी प्रो. धूमल की सरकार ने ही अपने पिछले शासनकाल में 100 से बढ़ाकर 200 रुपये मासिक किया था।

गत चार वर्षों में प्रदेश के विकास की गति तेज हुई है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2007–08 में 42076 रुपये थी वर्ष 2009–10 यानी तीन वर्षों में बढ़कर 58493 रुपये हो गई। राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो वर्ष 2007–08 में 33963 करोड़ रुपये था वर्ष 2010–11 में बढ़कर 42426 करोड़ रुपये हो गया है।

विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारत सरकार द्वारा गत चार वर्षों में विकास के मायनों पर देश व्यापी सर्वेक्षणों में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। 48 महीनों में इस आधार पर प्रदेश को 51 अवार्ड मिलना निःसंदेह प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। ये अवार्ड प्रदेश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन, पूंजीगत निवेश, पर्यटन, सुशासन जैसे महत्वपूर्ण मानकों में मिले हैं जिससे इस अवधि में प्रदेश की दशा और दिशा साफ इंगित होती है।

जब 2008 के चुनाव घोषणा पत्र पर हम एक नजर डालते हैं तो इसमें वायदा किया था किसानों से बागबानों से, कर्मचारियों से, श्रमिक वर्ग से, महिला एवं युवा वर्ग से कि सरकार उनकी बेहतरी के लिए काम करेगी और यह उसने कर दिखाया है। इन वर्गों के लिए प्रदेश सरकार ने नये कार्यक्रम एवं योजनाएं लागू कर लाभान्वित करने की कोशिश की है।

पंडित दीनदयाल किसान बागबान समृद्धि योजना, फसल विविधीकरण एवं दूध गंगा योजना, तीन ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रदेश में शुरू की गई है, जिससे प्रदेश की कृषि आर्थिकी तो सुदृढ़ होगी ही पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में एक बदलाव आना शुरू हुआ है। लोगों को स्व–रोजगार के अवसर खुले हैं। इन योजनाओं में गरीब एवं कमजोर वर्गों को विशेष रियायतें यानी अनुदान देकर प्रोत्साहित किया गया है। फसलों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित किया गया है और मुफ्त मिट्टी परीक्षण सुविधा दी जा रही है। बागबानों को मण्डी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य देकर मंडियों में उनके उत्पाद के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किये गये हैं। 85 करोड़ रुपये की सेब नवीकरण योजना कार्यान्वित की जा रही है। 80 करोड़ रुपये की बागबानी तकनीकी मिशन को सही परिप्रेक्ष्य में लागू कर प्रदेश के फल उत्पादकों को लाभान्वित किया गया है।

प्रदेश की वर्तमान सरकार हमेशा ही कर्मचारी हितैषी रही है। कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम रखे हैं और उनकी न्याय संगत मागों को समय–समय पर पूरा करती रही है। चार वर्षों में प्रदेश को लगभग 5500 करोड़ रुपये के लाभ मिले हैं। न्यूनतम एवं पारिवारिक पेंशन में वृद्धि की गई है। वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप कर्मचारियों को वित्तीय संकट होने के बाद भी चरणबद्ध ढंग से बकाया राशि दी जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का सारा 'एरियर' दे दिया गया है। दैनिक भोगी कर्मियों की जहां दिहाड़ी बढ़ाई गई है वहीं 31 मार्च, 2011 तक आठ वर्ष पूरे करने वाले सभी दैनिक भोगी कर्मियों एवं मजदूरों को नियमित किया गया है। अंशकालीन कर्मियों को भी दैनिक भोगी बनाया गया है। होम गार्ड के मानदेय को भी 130 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिदिन किया गया है और अनुबंध पर लगे सभी कर्मियों को जिन्होंने 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है को भी नियमित बनाया गया है। सरकार के ये निर्णय कर्मचारी हित में लिये गये निर्णय है।

महिला सशक्तिकरण भी सरकार की प्राथमिकता रही है। पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में उनके लिए 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। (शेष पृष्ठ 11 पर)

सुशासन, समदृष्टि व सेवा को समर्पित सरकार

हिमाचल प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने 30 दिसम्बर, 2011 को अपने शासनकाल के चार वर्ष पूरे कर, पांचवें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवधि में सरकार ने लोगों से पांच वर्ष के लिए किए गए वायदे ही पूरे नहीं किए, बल्कि वायदों से बढ़कर जनहित एवं विकास के अनेक कार्य किए हैं। यदि यह कहा जाए कि वायदों से बढ़कर हमारी उपलब्धियां ही हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गत चार वर्षों में प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2007–08 में 42076 रुपये थी, वर्ष 2010–11 में बढ़कर 58493 रुपये हो गई है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो वर्ष 2007–08 में 33963 करोड़ रुपये था, वर्ष 2010–11 में 52,426 करोड़ रुपये हो गया है। प्रदेश को मिले 51 अवार्ड इस बात के साक्षी हैं कि प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है और जनकल्याण के कार्य भी। ये अवार्ड हिमाचल प्रदेश को विभिन्न प्रतिष्ठित राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों एवं भारत सरकार द्वारा देशव्यापी सर्वेक्षणों में सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ पाए जाने पर दिए गए हैं। इस अवधि में हमने सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया है। इन चार वर्षों में प्रदेश का हर व्यक्ति, हर परिवार लाभान्वित हुआ है। यह सरकार आम आदमी की सरकार है। किसान, बागवान, मज़दूर, कर्मचारी, दलित वर्ग, महिला वर्ग और नौजवान की सरकार है। गत चार वर्षों में हमने इन सातों वर्गों के लिए भरपूर काम किया है और यही कारण है कि हमें लगातार लोगों का विश्वास एवं आशीर्वाद मिला है। हमने जब सत्ता संभाली थी तो लोगों से एक स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील एवं भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन प्रदान करने का वायदा किया था। यह हमने कर भी दिखाया है। हमने 'हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक' पास कर 13 विभागों को लोगों को समयबद्ध जन सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए 'हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण) विधेयक 2011' पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत भ्रष्ट तरीके से अर्जित सम्पत्ति को ज़ब्त करने के प्रावधान के साथ–साथ दोषी व्यक्ति को सजा भी दी जाएगी। इन चार वर्षों में सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं रही हैं। ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जो आम आदमी से जुड़े हैं और आम आदमी की बेहतरी ही हमारा लक्ष्य है। हम प्रदेश के सभी गांवों को, जिनकी आबादी 250 या इससे अधिक है, सड़क से जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ऐसे सभी गांवों को वर्ष 2012 तक सड़क पहुँचाना है। प्रदेश शिक्षा हब बनने की ओर अग्रसर है और लोगों को घर–द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ करवाई जा रही हैं।

स्वरोज़गार, स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान हमारा ध्येय है। प्रदेश में युवाओं को रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए गत चार वर्षों में रोज़गार के हजारों अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता का तीव्रता से दोहन कर, प्रदेश को आय सुनिश्चित की जा रही है। पर्यटन विकास को बढ़ावा देकर प्रदेश के लिए आय तथा लोगों को रोज़गार सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का जब दोहन हो जाएगा तो प्रदेश को भरपूर आय होगी, जिससे विकास की गति और तेज़ होगी और प्रदेश स्वावलम्बी होगा।

मैं प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करूंगा कि उनका सहयोग सरकार को निरंतर मिलता रहा है, जिससे हम प्रदेश के विकास एवं जन कल्याण को नई दिशा देने में सफल हुए हैं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी हमें प्रदेशवासियों का सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा और हम एक ऐसे हिमाचल प्रदेश के निर्माण में सफल होंगे, जहां रोज़गार एवं स्वरोज़गार के पर्याप्त अवसर हों, लोग स्वावलम्बी हों, सभी प्रदेशवासी स्वाभिमान से अपना जीवन बसर करें और हिमाचल प्रदेश हो सबसे ऊपर।

प्रेम धूमल

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मंत्री

गांवों की ओर रुख

यादविन्दर सिंह चौहान

तीस दिसम्बर 2007 को सत्ता संभालते ही मुख्य मंत्री ने प्रदेशवासियों को एक भ्रष्टाचार मुक्त, जबावदेही एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने का वायदा किया था। उन्होंने जनता से कहा था कि सत्ता मेरे लिए सेवा का साधन मात्र है हमारा संकल्प है कि समाज में सभी वर्गों का बहुमुखी विकास हो, आर्थिक उन्नति के नये द्वार खुलें, सभी को गुणात्मक शिक्षा, रोजगार के अवसर, बेहतर जन सुविधाएं तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो। अपने वचन का सम्मान करते हुए प्रो. धूमल की सरकार ने सत्ता संभालते ही जन सेवा से जुड़े सभी विभागों में निम्न से लेकर उच्चतम स्तर तक एक जन शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की ताकि सामान्य आदमी की शिकायत को सुना जा सके और उस पर कार्रवाई हो। प्रो. धूमल जिन्हें प्रदेश सरकार का नेतृत्व करने का दूसरी बार मौका मिला, के शासनकालों में राज्य के लोगों को एक स्वस्थ एवं पारदर्शी प्रशासन उनके नेतृत्व में मिला है।

राज्य सरकार प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, संवेदनशील, पारदर्शी, एवं प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करवाने में कामयाब रही है। सरकार ने इस दिशा में कई कारगर कदम उठाये हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को न केवल सलाखों के पीछे पहुंचाया गया बल्कि प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी विधेयक 2011 एवं हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पत्ति की कुर्की और अधिग्रहण) विधेयक 2011 जैसे इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। सरकार व जनता के बीच की दूरी कम हुई है। राज्य को स्वावलम्बी बनाने के प्रयास हुए हैं। सरकारी धन जो जनता का ही पैसा है का सही उपयोग करके फिजूलखर्ची को रोका गया है। उन क्षेत्रों के तीव्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है जो अब तक विकास से अछूते रहे हैं। प्रदेश का सर्वांगीण एवं तीव्र विकास ही सरकार का ध्येय है और सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। सरकार ने उन विकास कार्यों को भी पूरा किया है जो इस सरकार के पिछले कार्यकाल के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के कारण अधूरे रह गये थे। सरकार के कल्पनाशील उपायों से हिमाचल की आर्थिक स्थिति और जन जीवन में भारी परिवर्तन आया है। इस अवधि में राज्य की तरक्की की रफ्तार तेज हुई है। हालांकि सरकार को विरासत में भारी कर्ज का बोझ मिला। परन्तु सरकार ने धन की कमी को विकास के रास्ते में आड़े नहीं आने दिया। केन्द्र सरकार से प्रदेश हित के मामले प्रभावी ढंग से भी उठाये गये।

सरकार ने विकास को गांवों की ओर मोड़ा है और जनता से सीधा संवाद बनाया है। राज्य में चौतरफा विकास स्पष्ट दिखाता है, परिणामस्वरूप आज प्रत्येक नागरिक का जीवन बेहतर बना है। शायद उसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की सराहना हुई तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली व विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इस पहाड़ी प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य आंका गया है।

योजना आयोग ने भी हिमाचल में किये गये विकास कार्यों को सराहा है। हिमाचल प्रदेश ने इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जीता है। गत वर्ष भी प्रदेश को बेस्ट बिग स्टेट का अवार्ड प्रदान किया गया था। हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा पहाड़ी राज्य है, जो सम्पर्क सड़क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में सफलता के पायदानों में अग्रसर है। इस सफलता का श्रेय प्रदेश सरकार की दूरगामी कल्याणकारी नीतियों तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता को जाता है, जिनके परिणामस्वरूप प्रदेश विकास की बुलन्दियों को छू रहा है। विकास को लेकर हिमाचल की यह उपलब्धि दूसरे राज्यों के लिए मिसाल है। विकट आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल का आगे आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

शिक्षा के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलावों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश, देश में शत प्रतिशत साक्षरता तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है और शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति देश में सबसे अधिक है। उच्च शिक्षा कॉलेज इत्यादि में यहां दाखिले की दर राष्ट्रीय औसत दर से दोगुनी है।

राज्य सरकार ने आर्थिक विकास में शिक्षा की महत्ता को समझते हुए इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए शिक्षा के लिए विशेष बजट का प्रावधान कर रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध बेहतर आधारभूत संरचना से वैश्वीकरण के दौर में युवकों को विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा हासिल हो रही है। इसी तर्ज पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रदेश ने बेहतर उपलब्धियां हासिल की हैं। लोगों में जागरूकता का स्तर अधिक होने तथा उन्हें घर–द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होने के परिणामस्वरूप प्रदेश में औसत आयु में वृद्धि हुई है तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है।

हिमाचल प्रदेश देश में ऐसा राज्य है जिसने निवेश माहौल में पहला स्थान प्राप्त किया है। यहां उपलब्ध कुशल प्रशासन, निवेश मित्र माहौल, निर्बाधित विद्युत आपूर्ति तथा बेहतर कानून व्यवस्था के रहते इस पहाड़ी प्रदेश में निवेशक अपने कदम लगातार बढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। (शेष पृष्ठ 11 पर)

डाक पंजीकरण संख्या : एच.पी./42/एस.एम.एल. 2012–14 साप्ताहिक आर.एन.आई. 32195/78

आर्थिक सम्पन्नता का पर्याय बना

औद्योगिक विकास

प्रदेश में विद्यमान प्रदूषण मुक्त एवं शांतिप्रिय माहौल, प्राकृतिक संसाधन, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सुदृढ़ अधोसंरचना तथा उत्तरदायी व पारदर्शी प्रशासन कुछ ऐसे आकर्षण हैं जो उद्यमियों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रदेश सरकार राज्य में आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दे रही है। राज्य में प्रदूषण मुक्त व पर्यावरण मित्र तथा रोज़गारोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश में स्थापित की जा रही औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के युवाओं को 70 प्रतिशत रोज़गार सुनिश्चित किया जा रहा है।

औद्योगिक विस्तार गतिविधियों को व्यापक स्तर दिए जा रहे प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप देश के बड़े औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के आगे आ रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों की सुविधा के लिए भूमि बैंक की स्थापना की गई है। उद्यमियों की सुविधा के लिए बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत दवनी में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है।

प्रदेश में गत चार वर्षों के दौरान 16,163 करोड़ निवेश की 4,297 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें 1,47,673 लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्रदेश में इस अवधि में 7726.88 करोड़ रुपये निवेश से 3,469 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें 47,553 लोगों को रोजगार मिला है।

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में 57.45 करोड़ रुपये की लागत से इनलैंड कन्टेनर डिपू स्थापित किया गया है जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 86 बीघा भूमि पट्टे पर उपलब्ध करवाई गई। उद्यमियों की सुविधा के लिए बद्दी में ही 10.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ट्रेड सेंटर स्थापित किया जा रहा है।

✍ वेद प्रकाश

प्राकृतिक गैस पाईप लाईन के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में गैस की आपूर्ति कर ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गैस आथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (गेल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत औद्योगिक, परिवहन क्षेत्रों तथा घरेलू उपयोग के लिए पंजाब राज्य के राजपुरा से बद्दी तक पाइप लाइन से नेचुरल गैस की आपूर्ति की जाएगी। भविष्य में इसका विस्तार राज्य के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों तक भी किया जाएगा।

औद्योगिक कचरे के निपटान के लिए सोलन जिला की नालागढ़ तहसील के माजरा में संयुक्त क्षेत्र (पीपीपी मोड) में ठोस कचरा प्रबन्धन संयंत्र स्थापित किया गया है।

औद्योगिक ईकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए सोलन ज़िले के बद्दी में 23 करोड़ रुपये की लागत से महिला व पुरुष श्रमिकों के लिए 2 लेबर होस्टल स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक होस्टल में 950 श्रमिकों के रहने की व्यवस्था होगी।

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए सोलन ज़िले के वाकनाघाट में लगभग 65 एकड़ क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये की लागत से सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जा रहा है, जहां विभिन्न स्तरों के आई.टी. प्रोफैशनल्ज़ के लिए 2505 ड्वैलिंग यूनिट स्थापित होंगे। इससे 25,227 लोगों को रोज़गार उपलब्ध होगा।

राज्य में हस्तशिल्प एवं हथकरघा पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मण्डी जिला के गोहर कलस्टर के लिए 44.20 लाख रूपये की समन्वित हथकरघा समूह विकास योजना स्वीकृत की गई है।

वर्ष 2009-10 से 2010-11 के लिए स्वीकृत इस योजना से 500 बुनकर लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार रिकांगपिओ कलस्टर को वर्ष 2010-11 के लिए 55.15 लाख रुपये की अन्य समूह योजना स्वीकृत की गई जिससे 364 बुनकर लाभान्वित होंगे।

उत्तरोत्तर उन्नति की ओर

बागबानी

बागबानी क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होने के कारण आज हिमाचल प्रदेश विश्वभर में फल राज्य के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाये हुए है। प्रदेश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप ही प्रदेश में बागबानों की आर्थिकी सुदृढ़ हुई है।

प्रदेश में सेब की उत्पादकता बढ़े इस उद्देश्य के लिए 85 करोड़ रुपये की लागत से 'एप्पल रीप्लांटेशन प्रोजेक्ट' आरम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत कम पैदावार देने वाले सेब के पेड़ों के स्थान पर गुणवत्तायुक्त एवं अधिक पैदावार वाली रूट स्टॉक/पौध सामग्री दी जायेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत आगामी वर्षों में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जायेगा। सर्वांगीण सामाजिक- आर्थिक विकास में बागबानी के महत्वपूर्ण योगदान के दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है तथा इस क्षेत्र के योजना परिव्यय में गत चार वर्षों में क्रमश: 55 प्रतिशत, 11 प्रतिशत तथा 28 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में बागबानी उद्योग का सालाना योगदान लगभग 2000 करोड़ रुपये है। बागबानी फसलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए शिमला जिला में 'तीन एंटी हेलगन' स्थापित की गई है और सेब तथा आम की फसलों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है ताकि प्रतिकूल मौसम एवं प्राकृतिक आपदा से इन फसलों को हुए नुकसान से सेब एवं आम के उत्पादकों को अधिक नुकसान न उठाना पड़े। इस समय यह योजना सेब के लिए 15 तथा आम के लिए 9 विकास खण्डों में चलाई जा रही है।

✍ रीना नेगी

विभाग द्वारा फसलों की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभागीय पौध शालाओं में उच्च गुणवत्तायुक्त 31.66 लाख फल पौधे तैयार करके बागबानों को वितरित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सेब, नाशपाती, आड़ू, प्लम, चैरी, प्रून और खुमानी की उन्नत किस्मों के 25,100 फल पौधे तथा 14 हजार रूट स्टॉक्स अमेरिका से आयातीत करके बागबानों को बांटे गये हैं।

वर्तमान सरकार ने अपने इस कार्यकाल में फल उत्पादकों को 1330.38 मीट्रिक टन पौध संरक्षण दवाईयां उपलब्ध करवाई जिन पर 14 करोड़ का उपदान दिया गया साथ ही भूमि में रासायनिक खादों /पोषक तत्वों का समुचित प्रयोग करने के उद्देश्य से विभागीय पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला में 37123 नमूनों की जांच की गई जिसके कारण 23601 बागबान लाभान्वित हुए। यही नहीं विभागीय फल विधायन केन्द्रों में 622.08 मीट्रिक टन फल सब्जियों का उपयोग करके 756.71 मीट्रिक टन फल पदार्थ निर्मित किये गये जिसके लिए सामुदायिक डिब्बाबंदी सेवा के अतिरिक्त विभागीय इकाइयों द्वारा 303.65 मीट्रिक टन फल/सब्जियों का विधायन के लिए उपयोग किया गया। इन विधायन इकाइयों में 349 प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर प्रशिक्षणार्थियों को घरेलू स्तर पर सब्जी परीक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया गया और 1688 मौनपालकों को लाभान्वित किया।

'बागबानी तकनीकी मिशन' के तहत इस अवधि में 20,431 हेक्टेयर क्षेत्र को फलों, 3125 हेक्टेयर क्षेत्र को सब्जियों, 230 हेक्टेयर क्षेत्रों को फूलों, 577 हेक्टेयर क्षेत्र को औषधीय तथा सुगन्धीय पोधों तथा 700 हेक्टेयर क्षेत्र को विभिन्न मसालों की खेती के अधीन लाया गया है। फल उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित लाभ मिले इसके लिए प्रदेश में 'मण्डी मध्यस्थता योजना' को कार्यान्वित किया गया है। इस दौरान सेब, नींबू, प्रजाति, किन्नू, माल्टा, संतरा, गलगल और आम के बीज व कलमी प्रजाति के फलों के प्रापण मूल्य में 0.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ोतरी की गई है।

आम जन का सहारा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां समाज के गरीब तबके को दो वक्त की रोटी के लिए कभी तरसना नहीं पड़ा। यह सरकार की दूरगामी सोच के परिणामस्वरूप ही संभव हुआ है। प्रदेश की मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश भर में आदर्श बन कर उभरी है तथा इसका अध्ययन करने व इसे अपने राज्यों में अपनाने के लिए देश के अनेक भागों से विशेष दल हिमाचल आ चुके हैं।

प्रदेश के लोगों को उचित दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में समय-समय पर उचित कदम उठाए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित बना रहा है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहे और उपभोक्ता जागरूक बनें। प्रदेश सरकार सभी को उपदानयुक्त दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवा रही है और गरीब लोगों को बहुत ही सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत 4608 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन उचित मूल्यों की दुकानों में से 3040 सहकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि 38 उचित मूल्य की दुकानें पंचायतों द्वारा, 130 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, 1390 निजी डिपो धारकों व 4 उचित मूल्य की दुकानें महिला मण्डलों द्वारा चलाई जा रही हैं। प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी श्रेणियों के अन्तर्गत कुल 16,31,804 राशन कार्ड धारक पंजीकृत हैं। उपभोक्ताओं को गत चार वर्षों के दौरान 4130 करोड़ रुपये मूल्य की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई है। प्रदेश के सभी 11,17,804 ए.पी.एल. कार्ड धारकों को प्रतिमाह 18 किलो गेहूं का आटा तथा 9 किलो चावल क्रमश: 8.50 रुपये तथा 10 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

सभी 316900 बी.पी.एल. राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 20 किलो गेहूं तथा 15 किलो चावल क्रमश: 5.25 रुपये तथा 6.85 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 'अन्त्योदय अन्न योजना' के अन्तर्गत 1,97,100 राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 2 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलो गेहूं तथा 3 रुपये प्रति किलो की दर से 15 किलो चावल प्रदान किय जा रहे हैं। 'अन्नपूर्णा योजना' के अन्तर्गत 65 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों जो किसी भी प्रकार की वृद्धावस्था पेंशन सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, को प्रतिमाह 10 किलो चावल मुफ्त प्रदान किए जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं को दालें, नमक तथा खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए कार्यान्वित की जा रही 'विशेष उपदान योजना' के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत पांच सदस्यों या इससे अधिक संख्या वाले कार्डधारकों को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक किलो काला चना प्रति माह, जबकि तीन या इससे अधिक सदस्यों वाले कार्डधारकों को एक किलोग्राम दाल चना 25 रुपये प्रति किलोग्राम, 35 रुपये की दर से एक किलो उड़द

✍ शमा राणा

दाल उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त तीन या तीन से अधिक सदस्य वाले कार्डधारकों को प्रति परिवार एक लीटर सरसों का तेल 45 रुपये की दर से उपलब्ध करवाया जा रहा है जबकि सभी कार्डधारों को एक लीटर रिफाइंड तेल 40 रुपये की दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्रति परिवार चार रुपये की दर से एक किलो आयोडीनयुक्त नमक भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इस अवधि में 'विशेष उपदान योजना' के तहत उपभोक्ताओं को 88 करोड़ का 45,826 मीट्रिक टन काला चना, 142 करोड़ की 58,378 मीट्रिक टन दाल चना, 168 करोड़ की 58,549 मीट्रिक टन दाल उड़द, 489 करोड़ व्यय कर 1,10,253 लीटर रिफांइड तथा सरसों तेल तथा 16.60 करोड़ मूल्य का 46,138 मीट्रिक टन आयोडीन नमक उपदानयुक्त एवं सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया गया है।

विशेष उपदान योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण अनाज व अन्य उत्पाद उपलब्ध करवाने सुनिश्चित बनाए गए हैं, जिसका नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य एवं अन्य वस्तुओं के समय- समय पर सैंपल लेकर उनकी गुणवत्ता जांची जा रही है। किसी भी प्रकार की मिलावट या कोई कमी पाए जाने पर विभाग दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है।

प्रदेश में वर्तमान में 111 एलपीजी एजेंसियां कार्यरत हैं, जो 7,19, 594 सिंगल बैरल क्नेक्शन व 6 लाख 13 हजार 463 डबल बैरल कनेक्शन धारकों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। विभाग द्वारा एलपीजी वितरण पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग अधिक कीमतें वसूलने वाले व्यापारियों और कालाबाजारी पर भी कड़ी नजर रख रहा है, जिसके लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए जिला खाद्य नियंत्रक को एक माह में कम से कम 25 निरीक्षण, खाद्य आपूर्ति अधिकारी को 30 निरीक्षण व खाद्य आपूर्ति निरीक्षक को 37 निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला खाद्य नियंत्रक के अधीन शिमला, मण्डी और धर्मशाला में तीन उड़नदस्ते भी बनाए गए हैं, जिनके अधीन चार-चार जिलों को लाया गया है, जो समय-समय पर अपने निर्धारित क्षेत्रों में निरीक्षण करते हैं। वर्तमान वित वर्ष में अगस्त माह तक कुल 11842 निरीक्षण किए गए, जिसमें से विभागीय कार्रवाई के अन्तर्गत 760 को दंडित किया गया व 615 अन्य को लिखित चेतावनी दी गई जबकि एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस दौरान 7,05,887 रुपये की राशि जमानत के रूप में व 5,68,453 रुपये की वस्तुएं जब्त की गई।

विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में अनियमितता और कालाबाजारी पर रोक के लिए कड़ी नज़र रखी जा रही है। घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए ज़िला नियंत्रक संबंधित तेल कम्पनियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक एल.पी.जी. डीलर को एजेंसी में रूट चार्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य है।

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों पांगी, केलांग, भरमौर एवं अन्य दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की अग्रिम आपूर्ति की जाती है ताकि सर्दियों के मौसम में उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न पेश आए।

इसके अतिरिक्त राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में एल.पी.जी. की पर्याप्त आपूर्ति के लिए निगम द्वारा भावानगर, सांगला, पिओ, पूह, काजा, केलांग, उदयपुर, भरमौर, तीसा, किलाड़ में गैस एजेसियां चलाई जा रही हैं। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 8 नई गैस एजेसियां खोली गई हैं।